

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 05/2020

सुनीलाल पुत्र सांवताराम जाति गोसाईं (गुंशाई) साकिन मसीतावाली तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. सांवताराम पुत्र सोहनलालगिर
2. हेमराज पुत्र सांवताराम
3. सीमा पत्नी साहबराम पुत्री सांवताराम जाति गोसाईं निवासी शेरपुरा तहसील
लूणकरणसर जिला बीकानेर।
4. विद्या पत्नी सांवताराम जाति गोसाईं (गुंशाई) साकिन मसीतावाली तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर प्रसाद वर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री
करनैलसिह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री
दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 सांवताराम के नाम से चकनं० 1 डीबीएल के खाता सं०
66/55 में कुल .961 है० कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं० 2 को ब०हि०ब० के
खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 1 डीबीएल के खाता सं० 66/55 में से
प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किये जाने का आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार
राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त
होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकअदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.08.2020 को जारी किया गया।



Maangilal
(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी